यह निरीक्षण प्रतिवेदन**वित्त नियन्त्रक, दून विश्वविध्यालय, देहरादून**द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **वित्त नियन्त्रक, दून विश्वविध्यालय, देहरादून**के माह 04/2016से 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री के॰पी॰ सिंहसहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय पाल सिंग नेगी व॰ लेखापरीक्षकद्वारा दिनांक 22-07-2019 से 11-08-2019 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मक:**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर॰ के॰ जोगी,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री मनीष श्रीवास्तव,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.08.2016 से 02.09.2016 तक श्री हनुमान सिंह,लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **वित्त नियन्त्रक, दून विश्वविध्यालय, देहरादून**का मुख्य कार्यकलाप देशविदेश एवं क्षेत्रीय स्तर पर कलात्मक एवं रूचिकर शिक्षा प्रदान करना। उच्च शिक्षा के स्तर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध संस्थान को बढ़ावा देना।

(ब) **वित्त नियन्त्रक, दून विश्वविध्यालय, देहरादून**एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत
2016-17	2150.53	1853.94	2195.78		1808.69
2017-18	1808.69	1942.05	1359.96		2390.78
2018-19	2390.78	2766.53	2951.14		2206.17
2019-20	2206.17	3570.64	3489.31		2287.50
2020-21 (06/2020)	Datainconsolidated form not available asbalance sheet is not prepared				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत(-)
2016-17	RUSA/UGC/SERBandotherProjects	439.31	1945.36	1773.12	611.35
2017-18		611.35	356.69	387.13	580.91
2018-19		580.91	652.87	375.06	858.72
2019-20		858.72	60.97	182.34	737.34
2020-21 (06/2020)					

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकार, केंद्र सरकार,UGC व परियोजना इकाइयोसे प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचानिम्नवत हैः

कुलपतिकुलसचिववित्तनियंत्रकसहायक कुलसचिव अन्य कार्मिक →

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में**वित्त नियन्त्रक, दून विश्वविध्यालय, देहरादून**को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**वित्त नियन्त्रक, दून विश्वविध्यालय, देहरादून**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2019एवं09/2016को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।
4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम,2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2- अ

प्रस्तर-1 निर्माण कार्यो की डीपीआर मे रु 113.13 लाख का contingency के रूप मे अनियमित रूप से प्रावधान कर कार्यदायी संस्था को वर्तमान तक रु 55.91 लाख का दोहरा भुगतान किया जाना

प्रमुख सचिव नियोजन विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 738/रा0यो0आ0/2011 दिनाक 17 जून 2011 जो विभिन्न तकनीकी विभागो के प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष के साथ तकनीकी विषयो पर सम्पन्न कार्यशाला के निष्कर्षो पर कार्यवाही से संबन्धित थी, के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार **" विभिन्न विभागो के प्राक्कलन मे पाया गया है की कंटिजेंसी के अतिरिक्त overhead charges का भी प्रावधान किया जा रहा है जो एक ही प्रकार के कार्यो की द्विरावृत्ति है। साथ ही contingency शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्रावधान मे प्रथक से भी किये जाने के मामले प्रकाश मे आये है। contingency का प्राविधान लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची मे निहित रहता है। अतः तदनुसार ही contingency का प्राविधान प्राक्कलन मे किया जाय तथा contingency के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्राविधान कदापि प्रथक से न किया जाय।"**

वर्ष 2014, 2016 एवं 2018 के DSR के दर सूची (analysis of rate)मे 15 प्रतिशत CPOH (Contractor profit and overhead) जोडकर भुगतानित दर का प्रावधान किया गया था । विश्वविद्यालय द्वारा उक्त DSR की दरो पर कराये गये निर्माण कार्यो के प्राक्कलनो के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया की डीपीआर मे प्रथक से भी कंटिजेंसी का प्रावधान किया गया था । जिसके कारण जहां एक ओर निर्माण कार्य कि लागत मे वृद्धि हुई, वही दूसरी ओर कार्यदायी संस्था को overhead और contingency के रूप मे दोहरा भुगतान किया जा रहा था । निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय के निम्नलिखित निर्माण कार्य मे विसंगतियाँ प्रकाश मे आयी-

क्रम संख्या	योजना का नाम	निर्माण कार्य की कुल मूल लागत	निर्माण लागत	Contingency @ 4 या 3 प्रावधानित	अद्यतन किया गया कुल व्यय	contingency के अंतर्गत व्यय राशि	दरो हेतु प्रयुक्त DSR
1.	Composit लैब building का निर्माण (Rusa)	701.15	598.99	23.96 (4% की दर से)	926.28	29.76	DSR 2014
2.	Upgradation ऑफ	226.29	193.32	7.73 (4% की दर से)			DSR2014

	composite lab building (Rusa)						
3.	**Girls hostel का निर्माण (राज्य सरकार)**	**439.81**	**400.94**	**12.03 (3% कि दर से)**	**439.81**	**12.33**	**DSR 2014**
4.	**Girls hostel का निर्माण (राज्य सरकार पुनरीक्षित)**	**921.48**	**788.34**	**23.65 (3% कि दर से)**	**618.15**		**DSR 2016**
5.	**डा0 नित्यानन्द हिमालयी शोध एवं अध्धयन केंद्र (राज्य सरकार**	**2065.55**	**1525.57**	**45.76 (3% की दर से)**	**458.00**	**13.82**	**DSR 2016**
				113.13 लाख		**55.91 लाख**	

उपर्युक्त प्रारूप से स्पष्ट है कि DSR 2014 एवं 2016 की दरो मे CPOH को 15% शामिल करते हुए दरे निर्धारित की गयी थी। जो उत्तराखंड शासन के वर्ष 2011 के शासनादेश के अनुसार था। किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा DSR की दरो के अतिरिक्त contingencyकी प्रथक दरे भी प्राक्कलन बनाते समय लागत मे शामिल की गयी। जो उक्त शासनादेश एवं DSR मे विहित overhead के विपरीत थी। जिससे जहां एक ओर निर्माण कार्य की लागत मे वृद्धि हुई। वही दूसरी ओर कार्यदायी संस्था को लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2020) तक अनियमित रूप से कंटिजेंसी के रूप मे राशि प्रावधानित कर दोहरा भुगतान किया गया।

इस संबंध मे संबन्धित कार्यदायी संस्था एवं विभाग से पूछने पर जवाब दिया गया की सभी विभागो द्वारा DSR की दरो पर contingency प्रथक से ली जा रही है। साथ ही यह भी कहा गया की आगणन उत्तराखंड शासन द्वारा स्वीकार की गई दरो एवं प्रचलित प्रक्रिया के तहत गठित कर स्वीकृत हेतु विश्वविद्यालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया गया था। शासन के तकनीकी सेल तथा नियोजन विभाग के माध्यम से जाचोपरांत स्वीकृत किया गया। इस संबंध मे उच्चाधिकारियों से दिशानिर्देश प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इकाई का उत्तर सर्वथा अमान्य था, वर्ष 2011 के उक्त शासनादेश मे यह स्पष्ट दिशानिर्देश था कि कंटिजेंसी के अतिरिक्त overhead charges का भी प्रावधान एक ही प्रकार के कार्यो की द्विरावृत्ति है। अतः contingency के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्राविधान कदापि प्रथक से न किया जाय। डीपीआर बनाते समय विभाग एवं कार्यदायी संस्था को इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये था। तथा शासन के तकनीकी सेल एवं नियोजन विभाग को भी उक्त तथ्य को ध्यान मे रखकर डी0पी0आर0 को स्वीकृत किया जाना चाहिये था। जो नहीं किया गया।

अतः निर्माण कार्यो की डीपीआर मे contingency का अनियमित रूप से रु 113.13 लाख का प्रावधान कर लेखापरीक्षा तिथि तक रु 55.91 लाख के दोहरे भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 'अ'

प्रस्तर2:-धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण रहना तथा रु 399.53 लाख की लागत मे वृद्धि।

उत्तराखंड शासन द्वारा वर्ष 2013-14 में दून विश्वविद्यालय के फेज-2 के निर्माण कार्यों के अंतर्गत उ॰प्र॰ राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आंगणन रु 1160.00 लाख के विरूद्ध रु 1074.47 लाख के महिला छात्रावास के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 152/XXIV (6)/2014/26 (4)12 दिनांक 29 मार्च, 2014 द्वारा निम्न शर्त के साथ प्रदान की गयी थी "पीएलए से धनराशि के आहरण हेतु राज्य के वित्तीय संसाधन एवं वित्तीय प्रबंधन को ध्यान मे रखकर 04 किश्तों मे धनराशि आहरित कर व्यय हेतु दी जाएगी, कार्यदायी संस्था को धनराशि भुगतान से पूर्व अनुबंध करा लिया जाये। प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद द्वितीय किश्त निर्गत की जायेगी।"

महिला छात्रावास चार मंजिल का बनाया जाना था जिसके अन्तर्गत भूतल मे 22 कमरे, प्रथम तल, द्वितीय तल, एवं तृतीय तल मे 25 कमरे (प्रत्येक कमरे में 3 बेड) बनाए जाने थे । छात्रावास की स्वीकृति के साथ ही विश्वविद्यालय को रु 10.00 करोड़ की धनराशि PLA में रखे जाने की स्वीकृति दी गई थी तथा मार्च 2014 मे PLA से धनराशि का आहरण इस शर्त पर किया जाना था कि "स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर से अनुमोदन के उपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा धनराशि आहरित की जाएगी"।

छात्रावास निर्माण का कार्य संपादित करने के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड,देहरादून को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया। विश्वविध्यालय एवं कार्यदायी संस्था के मध्य एमओयू 20.05.2014 को किया गया। उक्त एमओयू के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 20.05.2014 थी तथा कार्य समाप्त होने की तिथि 20.05.2016 थी। उक्त एमओयू मे निम्न शर्ते रखी गयी

(i) एमओयू के क्लॉज़ 14 (i) के अनुसार परियोजना के पूर्ण होने कि अवधि 24 माह है इसलिए लागत पुनरीक्षण कि अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी।

लेखापरीक्षा दल द्वारा महिला छात्रावास के निर्माण की जांच करने पर निम्न तथ्य संज्ञान मे आए

(i) दून विश्वविध्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था को दिनांक 24.04.2014 को रु 400.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी।

(ii) 19 जनवरी 2015 को कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्य के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया। जिसमे सम्पूर्ण धनराशि का पूर्ण उपयोग दर्शाया गया था तथा भौतिक प्रगति 19 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 18 प्रतिशत थी। इसके प्रतिउत्तर मे कुलसचिव द्वारा कार्यदायी संस्था को विवरण प्रेषित करते हुये स्पष्ट किया कि रु 400.00 लाख के सापेक्ष निर्माण कार्य नहीं हुआ है तथा उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का आधार स्पष्ट नहीं है।

(iii) दिनांक 13.03.15 को कार्यदायी संस्था द्वारा पुनः उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया जिसमे 405.45 लाख के व्यय के साथ भौतिक प्रगति 37 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 38 प्रतिशत दर्शायी गयी थी परियोजना प्रबन्धक द्वारा दिनांक 24.03.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि 1074.47 लाख के अंतर्गत जो मद स्वीकृत हुई है वे मदे समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर ली जाएंगी।

(iv) शासन के पत्र दिनांक 30.05.2015 द्वारा विश्वविध्यालय के पी॰एल॰ए॰ मे जमा अवशेष धनराशि रु 600.00 लाख को कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किए जाने के संबंध मे औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किया गया था जिससे कार्य समयांतर्गत पूर्ण किया जा सके।

(v) दिनांक 26.08.2016 को कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत धनराशि रु 1074.47 लाख के अंतर्गत जो मदे स्वीकृत हुई है वे मदे अवशेष धनराशि रु 674.47 लाख प्राप्त होने कि तिथि के 12 माह के अंतर्गत पूर्ण कर ली जायेगी।

(vi) शासन के पत्र 18.11.2015 के माध्यम से विश्वविध्यालय को निर्देशित किया गया था कि अनुमोदित धनराशि मे निर्माण कार्य की पूर्ण किया जाएगा तथा अतिरिक्त धनराशि कि मांग नहीं कि जाएगी।

(vii) कार्यदायी संस्था द्वारा 25 फरवरी 2016 को उक्त कार्य हेतु रु 1754.39 लाख का पुनरीक्षित आंगणन प्रस्तुत किया गया।

(viii) कार्य प्रारम्भ होने लगभग 2 वर्ष 6 माह बाद अक्टूबर 2016 मे पी॰एल॰ए॰ मे जमा रु 600.00 लाख की धनराशि मे से रु 200.00 लाख की धनराशि व्यय करने कि स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ix) दिनांक 04.12.2017 को परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि प्राप्त रु 600.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष रु 600.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। तथा शेष धनराशि अवमुक्त हेतु अनुरोध किया गया था। जिसमे रु 600.00 लाख के व्यय के साथ भौतिक प्रगति 36 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 38 प्रतिशत दर्शायी गयी थी, इस प्रकार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लगभग 55 प्रतिशत प्रगति समझौता ज्ञापन के अनुसार हो जानी चाहिए थी परंतु उस समय तक उक्त कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 36 प्रतिशत पायी गयी।

(x) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित पुनरीक्षित आंगणन रु 1754.59 लाख के सापेक्ष दिनांक 01.03.2019 को रु 1474.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। दिनांक 08.03.2019 को पुनः एमओयू किया गया जिसमे कार्य समाप्त की तिथि 08.07.2020 निर्धारित की गयी थी।

(xi) दिनांक 18.04.2019 को रु 300.00 लाख की धनराशि पीएलए से आहरित कर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की। कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 18.09.2019 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया।

(xii) दिनांक 14.10.2019 द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि धनाभाव के कारण कार्य को बंद करने कि स्थिति पैदा हो गयी है। इसके उपरांत 23.10.2019 को 50.00 लाख तथा 28.01.2020 को 107.96 लाख कि धनराशि कार्यदायी संस्था को

अवमुक्त की गयी थी। जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा 1057.96 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा तिथि तक विश्वविध्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था को रु 1057.96 लाख ही अवमुक्त किए गए थे तथा वर्तमान मे कार्य प्रगतिरत है

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु 10.74 करोड़ के मूल आंगणन के अनुसार विश्वविध्यालय पीएलए से धनराशि आहरण के लिए शासन से अनुमति लेने मे विफल रहा तथा रु 10.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त भी कार्यदायी संस्था को समयान्तर्गत अवमुक्त नहीं की गयी थी। कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष समय समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए थे। कार्य प्रारम्भ होने के 2 वर्ष 4 माह बाद भी कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत धनराशि रु 1074.47 लाख के अंतर्गत जो मदे स्वीकृत हुई है वे मदे अवशेष धनराशि 674.47 लाख प्राप्त होने की तिथि के 12 माह के अंतर्गत पूर्ण कर ली जायेगी। इसके बाबजूद भी विश्वविध्यालय द्वारा धनराशि उपलब्ध होते हुये भी कार्यदायी संस्था को समयान्तर्गत अवमुक्त नहीं की गयी, यदि कार्यदायी संस्था को धनराशि समयान्तर्गत अवमुक्त की जाती तो आंगणन को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे विभाग को रु 399.53 लाख का अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। विश्वविध्यालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा एमओयू की शर्तो का पालन नहीं किया गया, महिला छात्रावास के निर्माण मे विश्वविध्यालय द्वारा शिथिलता बरती गयी। वर्तमान मे कार्य प्रगतिरत है जबकि पुनरीक्षित आंगणन के अनुसार भी दिनांक 08.07.2020 तक कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए था, विभाग के उदासीन रवैये के कारण छात्राओ को छात्रावास से होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा तथा भविष्य मे पुनः पुनरीक्षित आंगणन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा तथ्यो एव आंकणों की पुष्टि करते हुये अवगत करायागया कि रु 400.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के उपरांत शासन द्वारा सितंबर 2014 मे धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध मे वस्तुस्थिति स्पष्ट किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था तत्पश्चात प्रकरण पर शासन स्तर से समय समय पर की गयी पृच्छाओ एवं मांगी गायी आख्याओ पर शासन एवं विश्वविध्यालय के मध्य पत्राचार पर लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। विभाग स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि करता है, विश्वविध्यालय के उदासीन रवैये के कारण महिला छात्रावास समयांतर्गत पूर्ण नहीं किया जा सका।

अतः धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण रहना तथा रु 399.53 लाख की लागत मे वृद्धि का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-1 विश्वविद्यालय की उदासीनता के कारण रु 24.39 लाख की सामाग्री का भौतिकसत्यापन मे न पाया जाना।

General Financial Rule 2005 –The inventory for fixed asset shall ordinarily be

maintained at site fixed asset should be verified at least once in the year and the

outcome of verification recorded in the corresponding register. Discrepancies if any

shall be promptly investigated and brought to account.

दून विश्वविद्यालय के स्टॉक से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया किविश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 मे स्टॉक verification के लिए पाँच सदस्यीय कमेटी कागठन किया गया था। उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 27॰10॰2018 को भौतिक सत्यापन कर

विश्वविद्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की, उक्त रिपोर्ट मे रु 24.39 लाख मूल्य के 85 नगmissing पाये गए।उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कीसंबन्धित विभागो को पत्र लिखकर वास्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु कहा गया है। विभाग कीवास्तुस्थिति प्राप्त होने के पश्चात ही यथोचित कार्यवाही की जा सकती है।उत्तर मान्य नहीं है, क्योकि GFR Rule 2005 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष स्टॉकverification कराया जाना था जो नहीं कराया गया तथा विश्वविद्यालय की उदासीनता केकारण विगत दो वर्षो से उक्त अप्राप्त सामाग्री को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गयाऔर न ही इस सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय की तरफ से कोई एफ.आई.आर. की गयी एवंसंबन्धित विभागो से कोई भी वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी। इस कारण विश्वविद्यालयको रु 24.39 लाख की सामाग्री अप्राप्त रही जो कि विश्वविध्यालय की गंभीर अनियमितताको उजागर करता है।

अत: रु 24.39 लाख की सामाग्री का भौतिक सत्यापन मे न पाये जाने का प्रकरण शासन केसंज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- 2 ब

प्रस्तर-02 कैंटीन/कैफेटेरिया के निर्माण मे शासन की स्वीकृति एवं संज्ञान मे लाये बगैर विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय अधिकारो से अधिक के प्रस्ताव का अनुमोदन करना तथा टीएसी के परीक्षण के बिना बाजार दर पर कार्य कराकर रु 33.00 लाख का अनियमित भुगतान किया जाना

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर - 40 जो किसी नये कार्य, मरम्मत, अनुरक्षण आदि प्रारम्भ करने के पूर्व पालन किये जाने वाले सिद्धांतों के संबंध मे है, मे यह स्पष्ट है कि (1) रु 15.00 लाख तक की लागत के आगणन विषयक समस्त मूल निर्माण तथा मरम्मत कार्य विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं लोक निर्माण संगठन को निर्दिष्ट किया जा सकता है। (2) कार्य सक्षम प्राधिकारी से प्राशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो ।

अभिलेखो के अनुसार कैफेटेरिया-कैंटीन के निर्माण हेतु प्रस्ताव तत्कालीन कुलपति महोदय को प्रस्तुत किया गया था(मई 2016) । जिसके अनुमोदनोपरांत निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (UPRNN) को आंगणन प्रस्तुत करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया। कार्यदायी संस्था द्वारा रु 36.41 लाख का आंगणन प्रस्तुत किया गया। जो निम्नवत था -

क्रम संख्या	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1.	Earth work-construction of canteen of canteen building by LGFS system with flooring finishing, internal electrification, internal water supply and sanitary,tables and chair	157.23 Sqm	17000.00	2672947.40
2.	Landscaping in front of building with grassing,plantation, filling of food earth complete	1304.00 sqm	500.00	652000.00
3.	Work contingencies @2%			0.66 lakh
4.	Labour Cess @ 1%			0.33 lakh
5.	Centage Charges			2.16 lakh
	Total			36.41 lakh

रु 36.41 लाख के प्रस्ताव का वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन कुलपति महोदय द्वारा किया गया था। प्रस्ताव प्रेषित करते समय तात्कालिकता का हवाला देते हुए उक्त राशि की व्यवस्था शुल्क मद से किये जाने हेतु कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। जिसको बाद मे उक्त कार्यक्रम से विश्वविद्यालय की आय प्राप्त होने पर समायोजित होने की बात कही गयी थी।

पत्रालेख की जांच मे पाया गया की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उक्त आंगणन न तो शासन को प्रेषित किया गया और न ही टीएसी को जांच हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव को शासन के संज्ञान मे भी नहीं लाया गया । कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन मे गठित दरे बाजार दर पर ली गयी थी । जबकि

निर्माण कार्य मे पी0डबल्यू0डी0 की एस0ओ0आर0 कि दरे या डी0एस0आर0 की दरे ली जानी चाहिये थी। विश्वविद्यालय द्वारा रु 36.41 लाख मे से रु 33.00 लाख का भुगतान वर्ष 2016 मे कार्यदायी संस्था को कर दिया गया । कार्यदायी संस्था द्वारा माह 09/2017 मे कार्य पूर्ण होने की सूचना दी गयी थी।

इस संबंध मे विभाग एवं कार्यदायी संस्था से पूछे जाने पर बताया गया कि उपरोक्त कार्य विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतो से अर्जित आय से कराया गया तथा शासन से किसी भी प्रकार कि वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त की गयी। कुलपति महोदय से ही अनुमोदन प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष को रु 15.00 लाख की सीमा तक के ही कार्य के अनुमोदन का अधिकार था। उससे ऊपर के निर्माण कार्यो हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये थी। तथा निर्माण कार्य नियमावली के अनुसार पीडबल्यूडी एसओआर या डीएसआर की दरो पर आगणन बनाकर टीएसी से परीक्षण के पश्चात ही कार्य आरंभ हेतु धनराशि अवमुक्त की जानी चाहिये थी । जिसका पालन विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया गया। तथा निर्माण के पश्चात कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण भी नहीं कराया गया।

अतः कैंटीन/कैफेटेरिया के निर्माण को शासन के संज्ञान मे लाये बगैर और उनसे प्रस्ताव के अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय अधिकारो से अधिक के प्रस्ताव का अनुमोदन करके, बिना टीएसी के परीक्षण के बाजार दर पर कार्य कराकर रु 33.00 लाख के अनियमित भुगतान किया गया ।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तरः03-दून विश्वविध्यालय के संस्थागत/स्थापनागत उद्देश्ययों की पूर्ति न होना।

विश्वविध्यालय की स्थापना उत्तराखंड मे उच्च शिक्षा मे उत्कृष्टता की जो रिक्तता रही है उसको पूरा करने के उद्देश्य से की गयी है, इसका उद्देश्य अनुसंधान और अध्यापन के क्षेत्र मे नेतृत्व प्रदान करना है।

विश्वविध्यालय के अभिलेखो की जांच करने पर निम्न तथ्य संज्ञान मे आए

1- विश्वविध्यालय की प्रथम परिनियमावली,2009 के अधिनियम 16 के अनुसार विश्वविध्यालय के प्रथम सत्र (2010-11) मे 9 कोर्स संचालित किए जाने थे परंतु वर्तमान (2020-21) तक 9 कोर्स मे से 8 कोर्स ही प्रारम्भ किए जा सके परंतु एक कोर्स (जीव विज्ञान स्कूल) विश्वविध्यालय के सत्र प्रारम्भ होने के 10 वर्ष बाद भी वर्तमान तक संचालित नहीं किया जा सका था।
2- यू.जी.सी. के दिशानिर्देश 2017 के बिन्दु संख्या 4.1 (vii) के अनुसार facultyStudent का अनुपात 1:20 से कम नहीं होना चाहिए तथा Parttimefaculty को इसमे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। परंतु विश्वविध्यालय मे 3 कोर्स (विवरण संलग्न) मे Student का अनुपात faculty की तुलना मे अधिक है।
3- विश्वविध्यालय मे वर्तमान मे 27 कोर्स संचालित है, जिसमे से मात्र 4 कोर्सो मे 90 प्रतिशत या उससे अधिक छात्रों का पंजीकरण हुआ है, 14 कोर्सो मे 10 से 50 प्रतिशत तक छात्रों की सीटे रिक्त है तथा 9 कोर्सो मे 50 प्रतिशत से भी अधिक छात्रों की सीटे रिक्त (विवरण संलग्न) है। उक्त से स्पष्ट होता है कि विश्वविध्यालय द्वारा उपलब्ध सीटो की क्षमता के अनुसार उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।
4- विश्वविध्यालय के शिक्षणेत्तर संवर्ग मे स्वीकृत पदो के सापेक्ष कार्यरत पदो के विवरण मे देखा गया है कि विश्वविध्यालय मे 89 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 82 पद (92 प्रतिशत) रिक्त है, तथा शिक्षण संवर्ग मे 101 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 62 पद (लगभग 62 प्रतिशत) रिक्त है जिस कारण विश्वविध्यालय के अन्तर्गत होने वाले शिक्षण एवं कार्यालय के कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विश्वविध्यालय की परिनियमावली तथा यूजीसी के मानको का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। विश्वविध्यालय मे निर्धारित सीटो की क्षमता के अनुसार उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, शिक्षण संवर्ग तथा शिक्षणेत्तरसंवर्ग के पदो मे भारी कमी है जिससे शिक्षण एवं कार्यालय के कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि

1- पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त होने पर जीव विज्ञान स्कूल को प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
2- विश्वविध्यालय द्वारा फ़ैकल्टी के पदों को भरने हेतु समय समय पर विज्ञापन जारी किए जाते है, वर्तमान मे पदों के भरने की कार्यवाही जारी है।
3- विश्वविध्यालय द्वारा सीटो को भरने के लिए वेबसाइट एवं समाचार पत्रो मे सूचनाए प्रकाशित की जाती है। शासकीय शिक्षण संस्थान होने के कारण विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने मे विश्वविध्यालय की सीमाए सीमित है।
4- शिक्षणेत्तर संवर्ग मे अधिक मात्रा मे रिक्ति के सापेक्ष उपनल के माध्यम से कार्मिको को नियोजित किया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विश्वविध्यालय के गठन के 10 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी वर्तमान तक जीव विज्ञान स्कूल प्रारम्भ नहीं किया जा सका, समय-समय पर विज्ञापन जारी किए जाने के बाबजूद भी फ़ैकल्टी की संख्या मे भारी कमी है। विश्वविध्यालय द्वारा सीटो को भरने के लिए वेबसाइट एवं समाचार पत्रो मे सूचनाए प्रकाशित करने के बाद भी रिक्त सीटो की संख्या बहुत अधिक है तथा शिक्षणेत्तर संवर्ग मे अधिक मात्रा मे रिक्तियों के सापेक्ष उपनल के माध्यम से कार्मिको को नियोजित किए जाने के बाद भी रिक्त पदों की संख्या अधिक है।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः01 - बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये कोटेशन के माध्यम से रू.44.27**लाखका अनियमित क्रय।**

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली **2015** बिन्दु संख्या **3(10)** के अनुसार निम्नतर दरो का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति की जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा तथा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली**2015**के बिन्दु संख्या **35** के अनुसार **2.5** लाख से अधिक की धनराशि की समस्त सामग्रियों का क्रय समस्त विभागो मे ई प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से कराया जाए

लेखापरीक्षा दल द्वारा क्रय सामग्री संबंधी अभिलेखो की जांच करने पर पाया गया कि विश्वविध्यालय ने निविदा की प्रक्रिया से बचने के लिए एक समानसामग्री**(**जैसे फर्नीचर के अंतर्गत सोफा**,** कुर्सी**, Library stack)** को अलग अलग दिनांकको टुकड़ो मे तथा कोटेशन के माध्यम से क्रय किया गया (विवरण संलग्न)।संलग्न विवरण से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा रु **44.27** लाख की सामग्री का क्रयनिविदा के माध्यम से न कर कोटेशन के माध्यम से किया गया**,** जो उत्तराखंडअधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन है**,** जबकि विश्वविध्यालय द्वारा लगातार क्रयकी जाने वाली सामग्री को समस्त विभागो से एकमुश्त मांग प्राप्त कर एक हीप्रकृति वाली सामग्री को निविदा कर क्रय किया जा सकता सकता था तथाप्रातिस्पर्धात्मक मूल्य का लाभ भी लिया जा सकता था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा तथ्यो एवआंकणों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि कार्य अधिकता एवं तात्कालिकता को ध्यान मे रखते हुये तथा अलग-अलग समय पर मांगप्राप्तहोनेके कारण निविदा नहीं की जा सकी तथा भविष्य मे उत्तराखण्डअधिप्राप्तिनियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग का ,उत्तर मान्य नहीं हैक्योंकि समस्त विभागो से एकमुश्त मांग प्राप्त कर एक ही प्रकृति वाली सामग्री कोनिविदा कर क्रय किया जा सकता सकता था।

अतः बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये कोटेशन के माध्यम से रू**0 44.27** लाख काअनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	धनराशि	दिनांक	उद्देश्य
2016-17				
1	Library Stack	297708	25.10.16	
2	VisitorChairs	180337	20.11.16	
3	Workstation Furniture	104424	06.01.17	
4	Three seater Sofa	291975	16.11.16	
	Total	**874444**		
2017-18				
5	Dining tables & Chair	119360	23.10.17	
6	Wodden Rack Cabinets	212400	16.03.18	
7	Locker Cabinet	146320	19.03.18	
8	Furniture	228500	23.03.18	
9	Library Stack	245643	24.03.18	
10	Lab Instrument	269325	05.12.17	
11	Lab Instrument	167796	06.12.17	
12	Aquaguard cooler cum purifler machine	108000	22.09.17	
13	Aquaguard cooler cum purifler machine	216000	26.10.17	
	Total	**1713344**		
2018-19				
12	Spare Part for Instrument	109043	10.04.18	
13	Spare Part for Instrument	374280	01.05.18	
14	Office Furniture	234230	13.06.18	
15	Almiraha	125375	04.12.18	
16	Library Stack	245643	27.03.19	
	Total	**1088571**		
2019-20				
17	Hostel Furniture	246915	05.07.19	
18	Office Furniture	217592	01.11.19	
19	Air Conditioner	145750	06.08.19	
20	Air Conditioner	140000	03.12.19	
	Total	**750257**		
	GRANDTOTAL	**4426616**		

STAN

प्रस्तर-02रु.81.91 लाख मूल्य की सामग्री का वितरण का सत्यापन सुनिश्चित न हो पाना।

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक रु 81.91 लाख मूल्य की सामग्री का क्रय किया गया (सूची सलग्न)। उक्त सामग्री को विश्वविध्यालय के विभिन्न विभागो को वितरित किए जाने के पश्चात सामग्री प्राप्तकर्ता से स्टॉक रजिस्टर मे हस्ताक्षर नहीं कराये जा रहे थे। जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा कि उक्त सामग्री को वास्तव मे वितरित किया गया अथवा नहीं, साथ ही वितरित सामग्री की जिमेदारी किन अधिकारियों/कर्मचारियों की है। जिस कारण भविष्य मे सामग्री का भौतिक सत्यापन भी संभव नहीं हो सकेगा। अतः सामग्री की खरीद के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि मूल्यवान सामाग्री प्राप्त प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एक अतिरिक्त रजिस्टर मे किए जाते है तथा भविष्य मे सामाग्री प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर स्टॉक पंजिका मे करा दिये जाएंगे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि इकाई द्वारा इस तरह का कोई रजिस्टर लेखापरीक्षा दल को साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः विगत तीन वर्षो मे 81.91 लाख मूल्य की सामग्री का वितरण का सत्यापन न हो पाने के प्रकरण को संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ'	भाग-II'ब'
44/2009-10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,2,3,4,5,6,7,8
81/2014-15	--	1,2,3,4,5,6
74/2016-17	--	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
44/2009-10,81/2014-15,74/2016-17		लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **वित्त नियन्त्रक, दून विश्वविध्यालय, देहरादून**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्री बी॰सी॰ तिवारी	वित्त नियन्त्रक	27.12.13 से 12.07.17
2	श्री डी॰सी॰ लोहानी	वित्त नियन्त्रक	12.07.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **वित्त नियन्त्रक, दून विश्वविध्यालय, देहरादून**को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-I) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-I